

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: /FPI/K/ROAD/7840/2014 दिनांक देहरादून: 10 अप्रैल, 2015

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
लो0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाइ0,
धारचूला, पिथौरागढ़।

विषय:— जनपद-पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चर्मा-जौरासी से बजानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6542 हे० वन भूमि का चैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 का पत्रांक 129/A-4-15/1(37)/2015 दिनांक 27-03-2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के उपर्युक्त विषयक उल्लिखित पत्र के द्वारा विधायकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है :-

1. शर्त/संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.3084 हे० ग्राम-बजानी सिविल एवं सोंयग भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 4,73,101.00 (रू० चार लाख तिहतर हजार एक सौ एक) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-बजानी, पट्टी-तल्ला, तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोंयग वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.3084 हे० है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 5,07,000.00 (रू० पाँच लाख सात हजार) मात्र की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा की जानी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के अद्यतन आदेशों के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में देय धनराशि का आंकलन सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से वन धनत्व के अनुसार निर्धारित कराकर वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा

करायी गयी धनराशि की पुष्टि एवं आगरेडन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मंत्रालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तमिल कैंम्पा को प्रेषित की जा सके।

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रस्तावित विभाजन कार्यों के लिये जनपद कार्यक्षेत्र की संरक्षितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपकरणों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद-कार्यक्षेत्र की संरक्षितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिनियम अतिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में पर्यावरण एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में अग्रगत करना है कि उक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्तों के अनुपालन में आदिरोपित उक्त शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या सन्निहित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

वन संरक्षक

संख्या 9872 / FP/UK/ROAD/7840/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एन0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ़।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। (संलग्न:- यथोपरि)
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्रत्रयारा रोड, देहरादून। (संलग्न:- यथोपरि)

(मनोज चन्द्रन)

वन संरक्षक

43

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के चर्मा-जोरसी-बजानी मोटर मार्ग का नव निर्माण
(लम्बाई 2.538 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लारा श्रेणी - VI
2. हरियाली का घनत्व- 0.3
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० - 6,99,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 1.6542 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि- 11,56,285.8

ह०/
राजस्थानीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ जिले का
पिथौरागढ़

